आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 308/इंदौर/2020

श्री अखंड आश्रम ट्रस्ट चारधाम मंदिर, उज्जैन	बनाम	आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएकेटीएस 0009 बी		

अपीलार्थी की ओर से :	श्रीमती सोनल खंडेलवाल, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री पी.के.मित्रा, आयकर आयुक्त
सुनवाई तिथि :	11.11.2021
उद्घघोषणा तिथि :	17.11.2021

आदेश

श्री राजपाल यादव, उपाध्यक्ष द्वारा

निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अधीन आदेश दिनांक 25.09.2020 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । निर्धारिती ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 12एए के अधीन पंजीकृत था तथा उसने धारा 80 जी के अधीन अनुमोदन हेतु आवेदन

किया था । यद्यपि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) द्वारा इस आवेदन को नोटिसों का अनुपालन नहीं करने के कारण अस्वीकृत किया । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) इस तथ्य पर विचार करने में असफल रहे कि निर्धारिती द्वारा नोटिसों के उत्तर में स्थगन आवेदन दाखिल किए गए थे क्योंकि वह कोविड-19 महामारी के कारण सुनवाई में उपस्थित होने तथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ था । विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) ने निर्धारिती ट्रस्ट को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर दिए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था। अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारी के आदेश पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारी के आदेश का अवलोकन किया है। हमने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के समक्ष सुनवाई में तर्कसंगत कारण से उपस्थित होने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा था । विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) ने निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया था तथा प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किया था, जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 17.11.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष बोरड)	(राजपाल यादव)
लेखा सदस्य	उपाध्यक्ष

दिनांक : 17.11.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल